संख्या 446 सं.वि.,...13

संख्या– 295 / उन्नीस–2–2013–22 / 2013

प्रेषक,

संजीव दूबे
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

सूचना अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक: 10 अप्रैल, 2013

विषयः–प्रदेश की फिल्म नीति में संशोधन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–805/सू0एवंज0सं0वि0(फि0बं0)–1/2000, दिनांक 06-03–2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा फिल्म नीति–2001 (यथासंशोधित) के अनुदान/प्रोत्साहन व्यवस्था विषयक प्रस्तर 23.3 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की फिल्म नीति–2001(यथासंशोधित) के प्रस्तर–23.3 में संशोधन करने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है तदनुसार नीचे स्तम्भ "क" में अंकित वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर स्तम्भ "ख" में अंकित प्रस्तावित संशोधन को प्रतिस्थापित किया जाता है:–

क – वर्तमान व्यवस्था	ख – प्रस्तावित संशोधन
23.3 अनुदान/प्रोत्साहन व्यवस्था	23.3 अनुदान/प्रोत्साहन व्यवस्था
1. प्रदेश में निर्मित ऐसी हिन्दी फिल्मों जिसमें अवधी, ब्रज, बुन्देली एवं भोजपुरी सम्मिलित है, जिसकी कम से कम 75 प्रतिशत शूटिंग उत्तर प्रदेश में की गयी हो, के लिए उसकी निर्माण लागत का 25 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जायेगा। अनुदान की सीमा प्रत्येक फिल्म के लिए 40 लाख रुपये (चालीस लाख) मात्र	1. प्रदेश में निर्मित ऐसी हिन्दी फिल्मों जिसमें अवधी, ब्रज, बुन्देली एवं भोजपुरी सम्मिलित हैं, जिसकी कम से कम 75 प्रतिशत शूटिंग उत्तर प्रदेश में की गयी हो, के लिए उसकी निर्माण लागत का 25 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जायेगा। अनुदान की सीमा प्रत्येक फिल्म के लिए रुपये-1,00,00,000-00 (रुपये एक करोड़ रुपये मात्र) तक, फिल्म नीति के अंतर्गत पुरस्कार हेतु चयनित निर्देशक

श्री तिवारी
11/4/13

तक (फिल्म नीति के अन्तर्गत पुरस्कार हेतु चयनित निर्देशक द्वारा अगली फिल्म उत्तर प्रदेश में बनाए जाने की स्थिति में यह धनराशि 50 लाख तक) होगी। परन्तु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में रूपये-2.00 करोड़ से अधिक अनुदान अवमुक्त न किया जाय। 2. अनुदान चयन के लिए पटकथा की गुणवत्ता, निर्देशक का अनुभव व ख्याति एवं बजट का परीक्षण उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद द्वारा किया जायेगा। 3. अनुदान केवल फिल्म के रा-स्टाक, लैब फीस एवं रि-रिकार्डिंग फीस के लिए दिया जायेगा। लैब फीस में पिक्चर निगेटिव, साउण्ड निगेटिव केवल प्रथम प्रिन्ट का पिक्चर पॉज़िटिव, इण्टर निगेटिव, इण्टर पॉज़िटिव सम्मिलित होगा। 4. उक्त अनुदान रंगीन व श्वेत-श्याम के लिए उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त रि-रिकार्डिंग में मोनो, स्टीरियों, डाल्बी, डी0टी0एस0 एवं साउण्ड ट्रेक ट्रांसफर सम्मिलित होगा। 5. उक्त अनुदान केवल प्रथम प्रिन्ट की सीमा तक के लिए ही दिया जायेगा। 6. इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण फिल्म बन्धु द्वारा किया जायेगा।	द्वारा अगली फिल्म उत्तर प्रदेश में बनाये जाने की स्थिति में यह धनराशि रुपये-1,25,00,000-00 (रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र) तक होगी। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में रुपये-5,00,00,000-00 (रुपये पॉच करोड़) से अधिक अनुदान अवमुक्त न किया जाय। उपरोक्तानुसार दिये जाने वाले अनुदान का आकलन किये जाने हेतु जो समिति बनायी जाये, उसमें सनदी लेखाकार, जिसे फिल्म निर्माण के लेखों की लेखा परीक्षा का अनुभव हो, उसे भी सदस्य के रूप में रखा जाये, जिससे कि निर्माण लागत के आकलन में सुविधा हो। 2. अनुदान चयन के लिए पटकथा की गुणवत्ता, निर्देशक का अनुभव व ख्याति एवं बजट का परीक्षण उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद द्वारा किया जायेगा। 3. अनुदान केवल फिल्म के रा-स्टाक, लैब फीस एवं रि-रिकार्डिंग फीस के लिए दिया जायेगा। लैब फीस में पिक्चर निगेटिव, साउण्ड निगेटिव केवल प्रथम प्रिन्ट का पिक्चर पॉज़िटिव, इण्टर निगेटिव, इण्टर पॉज़िटिव सम्मिलित होगा। 4. उक्त अनुदान रंगीन व श्वेत-श्याम फिल्म के लिए उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त रि-रिकार्डिंग में मोनो, स्टीरियो, डाल्बी, डी0टी0एस0 एवं साउण्ड ट्रैक ट्रान्सफर सम्मिलित होगा। 5. उक्त अनुदान केवल प्रथम प्रिन्ट की सीमा तक के लिए ही दिया जायेगा। 6. इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण फिल्म बन्धु द्वारा किया जायेगा।

3 फिल्म नीति–2001(यथासंशोधित) को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

FROM :KARO3 FAX NO. :91 522 2239076 31 May. 2013 05:08PM P2

4— कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजीव दूबे)
प्रमुख सचिव

संख्या—245 (1)/उन्नीस—2—2013—22/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2— पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उ0प्र0 शासन।
4— समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5— कर एवं निबन्धन अनु0 6/वित्त (व्यय—नियंत्रण)अनुभाग—7।
6— न्याय (रिट) अनुभाग—6।
7— गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,

(डा0 अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव

FROM :KAR03 FAX NO. :91 522 2239076 31 May. 2013 05:09PM P3